राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– जय सिंह, आर.ए.एस.

आवेदन पत्र संख्या :– **195/2018**

1. हरिराम पुत्र श्री हरदेवा उम्र 74 वर्ष जाति जाट निवासी लोयल तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 **(मृतक)**

1/1. नोपा देवी पत्नी स्व. हरिराम
1/2. रामसिंह पुत्र हरिराम
1/3. रोहिताश पुत्र हरिराम
1/4. रमेश पुत्र हरिराम
1/5. राजबाला पत्नी महीपाल
1/6. विरेन्द्र पुत्र महीपाल नाबालिग उम्र 14 साल जरिये संरक्षक माता राजबाला पत्नि महीपाल

समस्त जाति जाट निवासी लोयल तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0

.... आवेदक

बनाम

1. शिवलाल पुत्र जीसुखराम जाति जाट निवासी लोयल तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 **(मृतक)**

1/1. सिणगारी पत्नी शिवलाल
1/2. रणवीर पुत्र शिवलाल
जाति जाट निवासी लोयल तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0
1/3. उम्मेद पुत्र शिवलाल जाति जाट निवासी लोयल हाल आबाद सी–201, बसन्त विहार झुंझुनूं राज0
1/4. सुनिता पुत्री शिवलाल पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी लोयल हाल आबाद सी–16 बसन्त विहार झुंझुनूं राज0
1/5. सन्तरा देवी पुत्री शिवलाल पत्नी बद्रीनारायण जाति जाट निवासी लोयल हाल आबाद सी–85 बसन्त विहार झुंझुनूं राज0 **(मृतक)**
1/5/1. मनिष पुत्र सन्तरा देवी
1/5/2. अंजना पुत्री सन्तरा देवी
जाति जाट निवासी लोयल हाल आबाद सी–85 बसन्त विहार झुंझुनूं राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.19 14:21:27 IST
Reason: SelfAttested

1/6. सुशिला पत्नी स्व0 होशियार सिंह
1/7. मुकेश पुत्र स्व0 होशियार सिंह पौत्र शिवलाल
जाति जाट निवासी लोयल हाल आबाद ई–112 इन्दिरा नगर झुंझुनूं
1/8. सुमन पुत्री स्व0 होशियार सिंह पत्नी दीपक जाति जाट निवासी लोयल हाल आबाद वार्ड नम्बर 24 पंचदेव मन्दिर के पास झुंझुनूं राज0

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

1/9. कविता पुत्री स्व0 होशियार सिंह पत्नी अरूण कुमार जाति जाट निवासी लोयल हाल आबाद सी-87 बसन्त विहार झुंझुनूं राज0

2. गुगनराम पुत्र जीसुखराम जाति जाट निवासी लोयल तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 **(मृतक)**

2/1. सिणगारी पत्नी गुगन जाति जाट निवासी लोयल तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0

2/2. विमला पुत्री गुगन पत्नी स्व0 राजू जाति जाट निवासी लोयल हाल आबाद पालोता तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

2/3. इन्द्रा पुत्री गुगन पत्नी विजेन्द्र जाति जाट निवासी लोयल हाल आबाद मकान नम्बर 169, गणेश नगर विस्तार, कालवाड़ रोड़ जयपुर राज0

2/4. सुमित्रा पुत्री गुगन पत्नी रविन्द्र जाति जाट निवासी लोयल हाल आबाद गोरीर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0

2/5. उर्मिला पुत्री गुगन पत्नी मानसिंह जाति जाट निवासी लोयल हाल आबाद गोरीर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0

.... अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थित :-

1. श्री जयप्रकाश सैनी	अभिभाषक	आवेदक
2. श्री गिरधारीलाल सैनी	अभिभाषक	अनावेदकगण

दिनांक :- 29-03-2022

-: निर्णय :-

आवेदक संख्या-1 हरिराम पुत्र श्री हरदेवा ने न्यायालय हाजा में एक आवेदन पत्र दिनांक 17-05-2012 को इस आशय का पेश किया था कि वाके ग्राम लोयल तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नम्बर 63 रकबा 0.05 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 64 रकबा 0.02 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 65 रकबा 4.80 हेक्टेयर का आवेदक खातेदार दर्ज रिकार्ड है। ग्राम लोयल स्थित भूमि खसरा नम्बर 67 रकबा 1.72 हेक्टेयर अनावेदकगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। आवेदक अपनी इस खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 63, 64, 65 में सदैव से काबिज एवं आबाद है। इस खातेदारी की भूमि में आवागमन के लिए भूमि खसरा नम्बर 67 के अलावा और कोई रास्ता ना तो मौके पर है ना ही रिकार्ड में है। आवेदक को फसल काश्त करने के लिये ऊंट या ट्रेक्टर नहीं पहुंचता है। फसल उपज को काटने लाटने या बेचान हेतु ले जाने के लिये ऊंट गाड़ा या ट्रेक्टर नहीं पहुंच पाता है। जिससे आवेदक को [illegible] हो रही है।

अतः आवेदक पत्र पेश कर अनुतोष [illegible] वाके ग्राम लोयल तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नम्बर 67 में से आवेदक को [illegible] दिलवाया जाकर, उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर नक्शा में तरमीम [illegible] जावे।

तत्पश्चात दिनांक 20.07.2012 को आवेदक द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी को लोयल से सुलताना जाने वाले रास्ते से खसरा नम्बर 67 की उत्तरी सीमा के सहारे-सहारे खसरा नम्बर 65 में जाने के लिए रास्ता दिया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.19 14:21:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण नम्बर 30/2012 उनवानी हरिराम बनाम शिवलाल आदि दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण में उभय पक्षकारों की बाद विधिवत सुनवाई के गुणावगुण के आधार पर वैकल्पिक साधन का अभाव प्रतीत नहीं होना मानकर न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 05–11–2012 से आवेदक का आवेदन पत्र खारिज कर दिया गया।

तत्पश्चात आवेदक ने प्रकरण नम्बर 30/2012 उनवानी हरिराम बनाम शिवलाल आदि में पारित निर्णय दिनांक 05–11–2012 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 229 के अन्तर्गत पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि भूमि खसरा नम्बर 66 व 67 ग्राम लोयल के न्यायालय श्रीमान् जी द्वारा यह फाइन्डिंग दी गई है कि मौके पर पगडण्डी नहीं है एवं वैकल्पिक सुविधा/साधन का अभाव प्रतीत नहीं होता है। इसलिये आवेदन पत्र पोषणीय नहीं है जो रिकार्ड एवं मौके की स्थिति में कतई विपरित है। तहसीलदार की रिपोर्ट का अपने निर्णय में कोई हवाला नहीं दिया गया है। इस प्रकार न्यायालय श्रीमान् जी द्वारा उक्त निर्णय में भारी भूल हुई है जो दृष्यमान भूल है। इसलिये उक्त निर्णय पर पुनः विचार किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि न्यायालय श्रीमान् जी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05–11–2012 पर पुनः विचार कर इस निर्णय को निरस्त कर समस्त तथ्यों सहित पुनः निर्णय पारित किये जाने की कृपा करें।

पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण नम्बर 89/2012 उनवानी हरिराम बनाम शिवलाल आदि दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण में उभय पक्षकारों की बाद विधिवत सुनवाई के न्यायालय हाजा द्वारा गुणावगुण के आधार पर रिपोर्ट नायब तहसीलदार खेतड़ी एवं उसके संलग्न नक्शा ट्रेस व रिपोर्ट पटवारी हल्का लोयल दिनांक 19.11.2012 (प्रदर्श–"अ" व "ब") के आवेदक का प्रकरण नम्बर 89/2012 स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम लोयल तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नम्बर 66 व 67 की उत्तरी सीमा के लगता हुआ, जो 120 मीटर लम्बाई में 10 फुट चौड़ाई का रकबा 0.04 हेक्टेयर का रास्ता सुलताना जाने वाले सरकारी रास्ते तक डी.एल.सी. के दुगुने प्रतिकर राशि 50,904/– पर अनावेदकगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 66, 67 के रकबे में से रास्ते की भूमि निर्वापित कर रिकार्ड में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित करने का निर्णय दिनांक 10–12–2012 पारित किया गया।

न्यायालय हाजा द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 10–12–2012 की प्रथम अपील संख्या 02/2013 माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के यहां की गई। तत्पश्चात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत निगरानी संख्या 1235/2014 उनवानी नोपा देवी आदि बनाम शिवलाल आदि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के यहां संस्थित हुई।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने निगरानी संख्या 1235/2014 उनवानी नोपा देवी आदि बनाम शिवलाल आदि अपने निर्णय दिनांक 19–02–2018 से स्वीकार कर माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 03–02–[illegible] व न्यायालय हाजा के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05–11–2012 व 10–12–2012 को निरस्त कर प्रकरण न्यायालय हाजा को आब्जरवेशन के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि प्रकरण में निम्न आब्जरवेशन के अनुसार पुनः जांच कर नये सिरे से निर्णय प्रदान किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.19 14:21:27 IST
Reason: SelfAttested

आब्जरवेशन बिन्दु :–

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

1. प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की दूरी 120 मीटर लंबी पड़ती है जबकि खसरा नम्बर 53 से दूरी मात्र 40 मीटर है। अर्थात कौन से रास्ते में भूमि कम जाती है।
2. क्या प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 65 के पश्चिमी खसरा नम्बर 53 प्रार्थी के परिवार के सदस्यों की आराजी है जो जमाबन्दी संवत 2060 से 63 में संयुक्त खातेदारी की भूमि रही है तथा संयुक्त खातेदार औमप्रकाश पुत्र गोकुल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तगर्गत धारा 251 ए के तथ्यों के अनुसार प्रार्थीगण के आने जाने बाबत खसरा नम्बर 119 व 125 में से लगभग 40 वर्ष से चल रहा है, उसमें रास्ता क्या पूर्व में काटा गया है, जो कि खसरा नम्बर 53 में जा रहा है।
3. खसरा नम्बर 63, 64 व 65 के लिए रास्ता मांगा जा रहा है खसरा नम्बर 53 की सींव से रास्ता दिया जाए तो कौन से की दूरी कम है।

उपरोक्त आब्जरवेशन के साथ प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से न्यायालय हाजा को प्राप्त होने पर दिनांक 24–08–2018 को प्रकरण नम्बर 195/2018 पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय पत्रांक राजस्व/2022/141 दिनांक 08–02–2022 से उपरोक्त आब्जरवेशन के तीनों बिन्दुओं पर तहसीलदार खेतड़ी से जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार खेतड़ी ने अपने पत्रांक राजस्व/2022/1426 दिनांक 22–02–2022 से जांच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। उभय पक्षकारों को सुना गया।

विद्वान योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् व तहसीलदार खेतड़ी की जांच रिपोर्ट क्रमांक 1426 दिनांक 22–02–2022 व संलग्न नजरी नक्शा का आद्योपान्त अवलोकन परीक्षण किया गया और दोनों पक्षों के योग्य विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया।

पत्रावली पर राजस्व ग्राम लोयल तहसील खेतड़ी की उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2068–71 के खाता संख्या 24 के खसरा नम्बर 66 रकबा 0.07 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 67 रकबा 1.72 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 324 रकबा 1.57 हेक्टेयर किता 3 रकबा 3.36 हेक्टेयर की एंकाकी खातेदारी गुगन, शिवलाल पुत्रान जिसुख कौम जाट निवासी लोयल अनावेकगण के नाम दर्ज रिकार्ड रही है तथा जमाबन्दी संवत 2068–71 के खाता संख्या 10 के खसरा नम्बर 52 रकबा 0.05 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 53 रकबा 3.84 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 63 रकबा 0.05 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 64 रकबा 0.02 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 65 रकबा 4.80 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 148 रकबा 2.91 हेक्टेयर किता 6 रकबा 11.67 हेक्टेयर की संयुक्त खातेदारी औमप्रकाश, ईश्वर, जयपाल, सत्यपाल, चन्द्रपाल, सुरेन्द्र पिता गोकुल व शान्ति पत्नी स्व. गोकुल हिस्सा 1/2, हरिराम पुत्र हरदेवा हिस्सा 1/2 कौम जाट निवासी लोयल के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। उक्त खाता संख्या 10 में दर्ज भूमि में आवेदक हरिराम का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड रहा है। आवेदन दिनांक 17–05–2012 को उक्त संयुक्त खातेदारी में [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत विधिवत विभाजन नहीं हुआ था। खसरा नम्बर 63, 64, 65 का आवेदक ने खातेदार बतौर अनावेदकगण के विरुद्ध रास्ता हेतु आवेदन पत्र पेश किया। जबकि जमाबन्दी संवत 2068–71 के खाता संख्या 10 में दर्ज सम्पूर्ण भूमि में आवेदक का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड रहा है जिसका विधिवत् विभाजन भी नहीं हुआ था। आवेदक हरिराम की मृत्यु के पश्चात जमाबन्दी संवत 2068–71 के खाता संख्या 10 में दर्ज संयुक्त खातेदारी की भूमि में नामान्तरकरण संख्या 614 दिनांक 20.10.2012 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.19 14:21:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

मृतक हरिराम का विरासत इंतकाल उसके विधिक उतराधिकारियों के नाम दर्ज हो चुका है। उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि का स्व0 गोकुल एवं स्व. हरिराम के वारिसान ने नामान्तरकरण संख्या 651 के जरिये दिनांक 24.01.2013 को विभाजन करवा लिया है। विभाजन पश्चात खसरा नम्बर 52 रकबा 0.05 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 53 रकबा 3.84 हेक्टेयर खसरा नम्बर 864/65 रकबा 0.21 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 866/148 रकबा 1.46 हेक्टेयर किता 4 रकबा 5.56 हेक्टेयर की खातेदारी औमप्रकाश, ईश्वर, जयपाल, सत्यपाल, चन्द्रपाल, सुरेन्द्र पिता गोकुल व शान्ति पत्नी स्व. गोकुल जाति जाट निवासी लोयल के नाम दर्ज हुई है तथा खसरा नम्बर 63 रकबा 0.05 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 64 रकबा 0.02 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 865/65 रकबा 4.59 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 867/148 रकबा 1.45 हेक्टेयर किता 4 रकबा 6.11 हेक्टेयर की खातेदारी आवेदक स्व0 हरिराम के वारिसान नोपादेवी पत्नी स्व0 हरिराम, रामसिंह, रोहिताश, रमेश पिता हरिराम हिस्सा 1/2, राजबाला पत्नी स्व. महीपाल, विरेन्द्र पुत्र महीपाल, पूनम निलम पुत्रीया महीपाल हिस्सा 1/8, सजना विद्या सरोज पुत्रीया हरीराम हिस्सा 3/8 जाति जाट निवासी लोयल के नाम दर्ज हुई है।

निगरानी संख्या 1235/2014 उनवानी नोपा देवी आदि बनाम शिवलाल आदि में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–02–2018 में प्रदत्त आब्जरवेशन बिन्दुओं पर तहसीलदार खेतड़ी से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1426 दिनांक 22.02.2022 से यह ज्ञात हुआ है कि जमाबन्दी संवत 2068–71 के खाता संख्या 10 में दर्ज मूल खसरा नम्बर 148, 52, 53, 63, 64, 65 किता 6 रकबा 11.67 का दिनांक 24.01.2013 को विभाजन होने के पश्चात उक्त मूल खसरा नम्बर के रकबा 11.67 हेक्टयर में 1/2 हिस्से के खातेदारी काश्तकार रहे स्व. गोकुल के वारिसान औमप्रकाश, ईश्वर, सत्यपाल पुत्रान स्व. गोकुल एवं शान्ति पत्नी स्व. गोकुल जाति जाट निवासी लोयल तहसील खेतड़ी ने खसरा नम्बर 53 के समीप के खसरा नम्बर 119 व 125 के खातेदारों से न्यायालय हाजा से प्रकरण नम्बर 100/2013 उनवानी औमप्रकाश आदि बनाम महावीर आदि अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट 1955 के जरिये दिनांक 06–09–2013 खसरा नम्बर 52 व 53 तक 10 फुट चौड़ा रास्ता प्राप्त कर लिया है, जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन व नक्शा ट्रेस में तरमीम हो चुकी है।

पत्रावली पर उपलब्ध नजरी नक्शा पटवारी हल्का लोयल व भू0अ0निरीक्षक जसरापुर दिनांक 18.02.2022 के अनुसार दिनांक 24.01.2013 के विभाजन के पश्चात के खसरा नम्बर 53 के खातेदारो ने खसरा नम्बर 864/65 व खसरा नम्बर 53 के पूर्व–दक्षिण कोने में गुवाड़ी मकान बना रखे है तथा वहीं पर पास में ही ट्यूववेल भी बना रखा है जहां तक खसरा नम्बर 119 व 125 में से काटा गया नया रास्ता पहुंच रहा है। मूल खसरा नम्बर 148, 52, 53, 63, 64, 65 किता 6 रकबा 11.67 हेक्टेयर का दिनांक 24.01.2013 को विभाजन होने के पश्चात उक्त खसरा नम्बर के संयुक्त खातेदारों की खातेदारी पृथक–पृथक दर्ज हुई है उससे पूर्व उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी आवेदक व स्व0 गोकुल जो आवेदक का भाई [illegible] विधिक वारिसान के नाम दर्ज रिकार्ड रही है।

आवेदक हरिराम द्वारा [illegible] भूमि खसरा नम्बर 66 व 67 में से उक्त खसरा नम्बर की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे खसरा नम्बर 65 में जाने के लिये रास्ता चाहा गया है। जबकि खसरा नम्बर 148, 52, 53, 63, 64, 65 किता 6 रकबा 11.67 हेक्टेयर की खातेदारी संयुक्त रही है तथा दिनांक 24–01–2013

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.19 14:21:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

को पक्षकारों के मध्य विविधत विभाजन हुआ है। किसी संयुक्त खातेदारी जिसमें पहुंच हेतु राजस्व रिकार्ड में कोई कटानी रास्ता नहीं है तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 में विभाजन के दौरान राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06-11-2004 के मध्य नजर आवश्यक रूप से रास्ता छोड़े जाने का प्रावधान है इसके बावजूद भी मूल खसरा नम्बर 148, 52, 53, 63, 64, 65 किता 6 रकबा 11.67 हेक्टेयर की संयुक्त खातेदारी का विभाजन करवाते समय खातेदारों ने अपनी संयुक्त खातेदारी में से कोई रास्ता नहीं छोड़ा है जो काश्तकारी अधिनियम एवं नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। यहां भूमिधारी का भी यह पूर्ण दायित्व था वह संयुक्त खातेदारी का विभाजन करते समय रास्ते का प्रावधान सुनिश्चित करते। यहां यह स्पष्ट हो रहा है कि आवेदकगण ने अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि में रास्ता न छोड़कर अन्य खातेदार की भूमि से बिना किसी ठोस कारण के रास्ते की मांग की जा रही है। आवेदकगण ने अपने आवेदक पत्र में कही भी यह अंकित नहीं किया है कि आवेदक खसरा नम्बर 65 में कहां पर निवास कर रहा है। जहां तक प्रश्न है खसरा नम्बर 65 की भूमि की फसल उपज को काटने लाटने या बेचान हेतु ले जाने के लिये ऊंट गाड़ा या ट्रेक्टर का, वहां तक उक्त भूमि में वर्तमान राजस्व रिकार्ड के मुताबिक रास्ते की पहुंच पूर्ण है। चूंकि खसरा नम्बर 119 व 125 में कटान का रास्ता उपलब्ध जो इनकी संयुक्त खातेदारी की रही भूमि खसरा नम्बर 53 तक पहुंच रहा है तथा खसरा नम्बर 53 व खसरा नम्बर 864/65 के पूर्व-दक्षिण कोने में गुवाड़ी मकान बने हुये है तथा वहीं पर पास में ही ट्यूववेल भी बना हुआ है। वहां तक खसरा नम्बर 53 के खातेदारी बिना किसी बाधा के पहुंच रहे है।

आवेदकगण का सर्व प्रथम यह अधिकार था कि वे अपनी संयुक्त खातेदारी का विभाजन के दौरान राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06-11-2004 के मध्य नजर आवश्यक रूप से भूमिधारी से रास्ते का प्रावधान सुनिश्चित करवाते। तत्पश्चात किसी मुख्य रास्ते तक पहुंच हेतु रास्ते की मांग करते।

आवेदकगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के उपबन्धों को लागू करने के लिये बनाये गये नियम 69 के तहत यह साबित नहीं किया है कि उनको भूमि खसरा नम्बर 67 में से रास्ते की आवश्यकता परम आवश्यक है तथा वह जोत (हॉलिंग) के मात्र सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है।

न्यायालय आवेदकगण को विशेष रूप से किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नए मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होना नहीं पाता है। चूंकि आवेदकगण स्वयं ने ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 में विभाजन के दौरान राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06-11-2004 का उल्लंघन किया है। आवेदकगण का प्रकरण महज दुर्भावनावंश नये रास्ते के लिये पेश किया जाना प्रतीत होता है।

उक्त प्रकरण में खसरा नम्बर 53 के वर्तमान खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। खसरा नम्बर 53 तक रास्ते की पहुंच पूर्ण है। आवेदकगण सर्व प्रथम खसरा नम्बर 53 के सह खातेदार रहे खातेदारों से रास्ते की मांग करने के लिये स्वतंत्र है।

आवेदकगण यह साबित करने में असफल रहे है कि उन्हे रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है तथा वैकल्पिक रास्ते का अभाव है व मांग किया गया रास्ता उसकी जोत

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.19 14:21:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

के सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है। न्यायालय आवेदकगण का आवेदन पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाता है। लिहाजा

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार आवेदकगण का आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। आवेदकगण का हस्तगत आवेदन पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29-03-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलेक्टर
खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज०)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी, जिला-झुन्झुनूं (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.19 14:21:27 IST
Reason: SelfAttested